

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री चन्द्रमोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा**  
**श्री ओ.पी.मीना, लेखा सदस्य के समक्ष**

**आ. अ. सं. 297 / इंदौर/ 2017**

**निर्धारण वर्ष : 2007-08**

मे. अमित इंटरप्राइजेस भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त 1(1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी

**स्था. ले. सं.: एएफएफए 2074 एफ**

अपीलार्थी की ओर से :	सर्वश्री आशीष गोयल तथा एन.डी. पटवा
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री मोहम्मद जावेद विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि :	24.05.2017
उद्घोषणा तिथि :	30.05.2017

**आदेश**

**श्री ओ.पी.मीना, लेखा सदस्य द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 250(6) के अधीन पारित आदेश दिनांक 24.03.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष यह प्रकरण सुनवाई हेतु अलग-अलग तारीखों को नियत था। सुनवाई की तारीखों पर न तो निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही कोई ब्यौरें दाखिल किए गए जैसा कि आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश से प्रकट है। अतः विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने अभियोजन नहीं करने के कारण निर्धारिती की अपील खारिज की है।

3. अपील की सुनवाई के दौरान, विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने इस न्यायपीठ के समक्ष निवेदन किया कि निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उसने निवेदन किया कि अपीलीय आदेश दिनांक 24.03.2017 में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने सुनवाई का अंतिम नोटिस अपील की सुनवाई 30.03.2017 को नियत करते हुए जारी करने का दावा किया था जो निर्धारिती को 30.03.2017 तक प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने दिनांक 24.03.2017 को अर्थात् सुनवाई की नियत तारीख के पहले ही अपीलीय आदेश पारित करते हुए निर्धारिती की अपील अभियोजन नहीं करने के कारण खारिज की थी जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई का एक अवसर देने का अनुरोध किया। दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश पर निर्भरती रखी।

4. हमने दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। हमने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त अपील ने निर्धारिती को सुनवाई का अंतिम अवसर देते हुए अपील की सुनवाई दिनांक 30.03.2017 को नियत करते हुए नोटिस दिनांक 23.03.2017 जारी किया था जैसा कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश दिनांक 24.03.2017 से प्रकट है। यद्यपि, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने सुनवाई दिनांक 30.03.2017 के पहले ही दिनांक 24.03.2017 को अपीलीय आदेश पारित किया है। इस

अपील की सुनवाई में निर्धारिती उपस्थित नहीं रहा था जैसा कि आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश से प्रकट है। दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem) का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय की मूलभूत अवधारणा है। पदबंध “दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem)” का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत प्रत्येक समाज हेतु अनिवार्य (sine qua non) है जैसे नोटिस का अधिकार, प्रकरण तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रतिकूल साक्ष्य का खंडन करने का अधिकार, प्रति परीक्षण का अधिकार, विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, पक्ष को साक्ष्य प्रकटन, जांच की रिपोर्ट अन्य पक्ष को दिखाया जाना और तर्कपूर्ण निर्णय या सकारण आदेश। हमने पाया कि सुनवाई के अधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया (1978 एआईआर 597; 1 एससीसी 248) के प्रकरण में निर्णयित किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिधारित किया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उचित सुनवाई का नियम आवश्यक है। हमने पाया कि यह दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem) नियम के प्रतिमान का निर्णय-पूर्व सुनवाई मानक है। हमने पाया कि इस वर्तमान प्रकरण में, निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया था। अतः, हमारा अभिमत है कि निर्धारिती को सुनवाई तथा उसके प्रकरण को प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। अतः, हम यह अपील स्वीकृत करते हैं। निर्धारिती को इस आदेश की प्राप्ति के दो माह के अंदर विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया जाता है। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार अपील निर्णयित करना चाहिए।

6. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है।

यह आदेश 30.05.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(चन्द्रमोहन गर्ग)  
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-  
(ओ.पी.मीना)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 30.05.2017

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,  
गार्ड फ़ाइल